प्रकरण संख्या 41/2023 अनवान इन्द्राज वगैरा बनाम सन्तरो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय दिनांक 18.10.2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी - श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण संख्या - 41/2023
(जी.सी.एम.एस.-2023/47) **निर्णय दिनांक -18.10.2024**

उपस्थिति-01. श्री गुलशन सेतिया, वकील प्रार्थीगण
02. पैराकार राज, तहसीलदार श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

अनवान -

01- श्री इन्द्राज आयु 42 वर्ष पुत्र श्री जैसा राम जाति कुम्हार निवासी चक 19 एस डी, तहसील श्रीविजयनगर जिला श्री गंगानगर ।

02- श्री चेतराम आयु 18 वर्ष पुत्र श्री चन्द्रभान जाति कुम्हार निवासी चक 19 एस डी, तहसील श्रीविजयनगर जिला श्री गंगानगर ।

03- श्रीमति धापी देवी पत्नी आयु 70 वर्ष पुत्र श्री जैसा राम जाति कुम्हार निवासी चक 19 एस डी, तहसील श्रीविजयनगर जिला श्री गंगानगर।

04- श्रीमति मूर्ति देवी पत्नी आयु 47 वर्ष पुत्र श्री चन्द्रभान जाति कुम्हार निवासी चक 19 एस डी, तहसील श्रीविजयनगर जिला श्री गंगानगर।

05- श्री सुनील कुमार आयु 22 वर्ष पुत्र श्री चन्द्रभान जाति कुम्हार निवासी चक 19 एस डी, तहसील श्रीविजयनगर जिला श्री गंगानगर।

......प्रार्थीगण ......

बनाम-

01- श्री मति सन्तरो देवी पत्नि श्री राजाराम जाति मेघवाल निवासी चक 14 एस.डी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्री गंगानगर ।

02- राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, श्रीविजयनगर ।

.....अप्रार्थीगण ......

::-निर्णय ::-

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के नाम से वाके चक 4 बीपीएम तहसील श्रीविजयनगर का खाता संख्या 46 मु.न. 68 प.न. 130/420 का कि.न. 3 ता 9 व 13 ता 14 का 2.277 हैक्टर कमाण्ड व अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद है जो कि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में उक्त कृषि भूमि की प्रमाणित जमावंदी संलग्न प्रार्थना-पत्र है।
अप्रार्थीया सन्तरो देवी के नाम से कृषि भूमि वाके चक 4 बीपीएम, तहसी श्रीविजयनगर का खाता संख्या 108 मुरब्बा नं.68 पत्थर नं. 13/420 का किला न 1/2, 2, 10/2, 11/2, 12, 19/2 में कुल 1.307 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।
चक 4 बीपीएम तहसील श्रीविजयनगर का मुरब्बा नं.68 पत्थर नं. 130/420 का किला नं. 1 ता 5 मे सरकारी खाला पक्का वर्तमान मे पूर्व से पश्चिम 16 फुट चौड़ा चल रहा है।
प्रार्थीगण अपनी उक्त कृषि [illegible] आने जाने के लिए व कृषि यंत्रो को लाने ले जाने के लिए भूमि के खरीद रोज से ही अप्रार्थी[illegible] कृषि भूमि के किला नम्बर 1, 2 में पश्चिम से पूर्व दिशा मे चल रहे [illegible] उपयोग करते हुए अपनी कृषि भूमि को काश्त कर रहे है जो कि उक्त रास्ता मौके [illegible] चालू है जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड में नही है जिसका पटवारी द्वारा प्रमाणित नजरी नक्शा संलग्न प्रार्थना-पत्र है। [illegible] प्रार्थीगण को अपनी भूमि में प्रवेश करने हेतु [illegible] प्रार्थीया के किला नं. 1 व [illegible] रास्ता चल रहा है जो कि मु.न. 68 के कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 के पश्चिम दिशा की और इसी मुरब्बा मे है जो कि इसी मु.न. 68 प.न. 130/420 मे से गैर मुमकिन रास्ता प0न0

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.11.07 10:14:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

130/420 के कि.न. 1 तक आ रहा है किन्तु इसके आगे प्रार्थीगण मु.न. 68 पं.नं. 130/420 में कि.न. 1 तक आ रहे गैर मुमकिन रास्ता से कि.न. 1 व 2 में पश्चिम से पूर्व अप्रार्थीया की मौखिक सहमति से खरीद के रोज से रास्ता के रूप में उपयोग-उपभोग करते हुए आ जा रहे है एंव अपने कृषि यंत्रो को ला व ले जा रहे है उक्त कि. न. 1 तक आ रहे गैर मुमकिन रास्ते से प्रार्थीगण के खेत में आने जाने व अपने कृषि यंत्रो को लाने व ले जाने के लिए किला नं. 1 व 2 के अलावा कोई अन्य सुगम रास्ता नही है प्रार्थीगण ने अप्रार्थीया को भविष्य में पैदा होने वाली समस्याओं को बताते हुए उक्त भूमि को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत करवाने बाबत मौतबीरान व्यक्तियो को साथ लेकर दिनाक 21.04.2023 को कहा व कहा कि आपको रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में, भूमि का प्रतिफल नकद रूप में प्राप्त करना चाहे तो नकद रूप में भी वाजिब डी.एल.सी.दर. अनुसार भुगतान करने के लिए तैयार है आप उक्त जगह को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत करवाने में हमारी मदद करे एंव अप्रार्थी स. 2 के समक्ष चलकर इस बाबत बयान आदि देवें तो अप्रार्थीया स. 1 के द्वारा ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया गया है जिस कारण से प्रार्थीगण को माननीय न्यायालय की शरण में आना पडा है।

अतः प्रार्थना पत्र अधा. 251-ए राज. काश्तकारी अधि. का पेश कर अर्ज है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के रकबा चक 4 बीपीएम का मु.न. 68 प. न.130/420 के कि.न. 1 तक आ रहे गैर मुमकिन रास्ते से आगे मु.न. 68 के कि.न. 1 व 2 में पश्चिम से पूर्व दिशा में 12 फुट चल रहे रास्ता आम की भूमि को रास्ता आम स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता आम दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 द्वारा इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ता को स्वीकृत करने हेतु अपनी सहमति व्यक्त गई।

प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार श्रीविजयनगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा पटवारी हल्का 23 एसडी तहसील श्रीविजयनगर की मूल रिपोर्ट मय नजरी नक्शा न्यायालय में प्रेषित किया गया। पटवारी हल्का 23 एसडी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट अनुसार चक 4 बीपीएम के प0न0 130/420 (68) के किला नम्बर 1/2 का 0.228, 2/0.253, 10/2 का 0.228, 11/2 का 0.228, 12/0.253, 19/2 का 0.117 कुल 1.307 हैक्टर कृषि भूमि सन्तरो देवी पत्नि राजाराम जाति मेघवाल निवासी 14 एसडी खातेदार रहन, बैक ऑफ बड़ौदा शाखा सूरतगढ़ दर्ज है व प0न0 130/420 (68) के किला नम्बर 3 ता 9 का 1. 771, 13 ता 14 का 0.506 कुल 2.277 हैक्टर कृषि भूमि इन्द्राज पुत्र जैसाराम जाति कुम्हार वगैरा के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक रिकार्ड किसी न्यायालय का स्थगन नही है। जोत तक पहुंचने हेतु सम्पूर्ण रास्ता खातेदार की भूमि में से होकर गुजरता है। प्रार्थीगण को अपने खेत में प्रवेश करने हेतु कोई स्वीकृत शुद्दा रास्ता नही है। प्रार्थीगण इन्द्राज वगैरा को अपनी जोत में आने-जाने हेतु रास्ते की परम आवश्यकता है। जोत के लिए वैकल्पिक रास्ते का अभाव है। प्रकरण दर्ज होने की दिनांक से अब तक प्रार्थीयान द्वारा प0न0 130/420 (68) के किला नम्बर 1, 2 में चल रहे रास्ते से अपनी जोत में प्रवेश कर रहा है जो कि निटतम व लघुतम रास्ता है। न्युनतम एवं लघुतम व्यवहारिक है। उक्त रास्ता स्वीकृत करने पर रास्ते के आस-पास खड़ी कंटीली झाड़ियों को क्षति होने की संभावना है।

हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र [illegible] प्रेषित पटवारी हल्का की जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित [illegible]शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। [illegible] अधिनियम में खातेदारों के लिए नवीन रास्ता संबंधी प्रावधान [illegible] रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए धारा 251-ए काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251-ए का समावेश किया गया है, जिसकी उपधारा (1) के (ख) [illegible]नुसार-कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.11.07 10:14:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे। उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जाँच पश्चात वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किए गए प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।'' पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को चक 4 बीपीएम तहसील श्रीविजयनगर का खाता संख्या 46 मु.न. 68 प.न. 130/420 का कि.न. 3 ता 9 व 13 ता 14 का 2.277 हैक्टर कमाण्ड व अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि तक पहुचने के लिए नवीन रास्ते की मांग की गई है। तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट की मूल रिपोर्ट मय नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के पास अपने रकबा को काश्त करने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। उक्त नवीन रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थीगण की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। अप्रार्थीया संतरो देवी पत्नि राजाराम जाति मेघवाल निवासी 14 एसडी तहसील श्रीविजयनगर द्वारा प्रार्थना पत्र का का ईकबाली जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि चक 4 बीपीएम का मु0न0 68 प0न0 130/420 के किला नम्बर 1 तक आ रहे गैर मुमकिन रास्ते से आगे मु0न0 68 के किला नम्बर 1 ता 2 पश्चिम से पूर्व दिशा में 12 फूट चल रहे रास्ता आम की भूमि को रास्ता आम स्वीकृत किया जाने पर मुझे कोई आपत्ति नही हैं। अप्रार्थीगण संख्या 01 सतंरो पत्नि राजाराम पुत्री ख्यालीराम जाति मेघवाल निवासी 14 एसडी तहसील श्रीविजयनगर द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि चक 4 बी.पी.एम. तहसील श्रीविजयनगर के मु0न0 68 प0न0 130/420 का 1. 307 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम संतरो पत्नि राजाराम दर्ज है परन्तु के अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीया का नाम संतोष पत्नि राजाराम दर्ज है, संतोष एव संतरो दोनो मेरे ही नाम है। इस संबंध में जयप्रकाश पुत्र श्री हेतराम जाति जाट साकिन 12 किसनावाली ढाणी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जो संलग्न मिसल है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का स्वीकार करने योग्य है।

-: क्रियात्मक :- आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर चक 4 बीपीएम तहसील श्रीविजयनगर के मु0न0 68 प0न0 130/420 के किला नम्बर 1 तक आ रहे गैर मुमकिन रास्ते से आगे मु0न0 68 के किला नम्बर 1 ता 2 पश्चिम से पूर्व दिशा में 12 फूट चल रहे रास्ता आम की भूमि को रास्ता आम स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीविजयनगर को निर्देश दिये जाते है कि स्वीकृत रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालना बावत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आदिनांक 18/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.11.07 10:14:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner